पत्रांक–01/गै0प्रा0आ0–01/2009 (खंड)/....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्तीपुर।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– गैर प्राकृतिक आपदा/प्राकृतिक आपदा में मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 769/आ0प्र0 दिनांक–07.10.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपदा राहत कोष (SDRF/NDRF) के अन्तर्गत अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मामले में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य है। अन्य योजनाओं से मृतक के आश्रित के लाभान्वित होने का संबंध अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान से नहीं है। अर्थात् किसी भी स्थिति में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में आपदा राहत कोष से अनुग्रह अनुदान देय है।

गैर प्राकृतिक आपदा के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प सं0–2901/आ0प्र0, दिनांक–03.10.2008 के अनुसार मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान प्राकृतिक आपदाओं में भुगतेय अनुग्रह अनुदान के अनुसार ही होगा। वज्रपात के संबंध में भी यही प्रावधान है।

अतः उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि –सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (समस्तीपुर छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–..........3911......................./आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 28/10/14

प्रतिलिपि –विभागीय आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/14
सरकार के संयुक्त सचिव

\\Pc22-pc\d\2014\Ajay sir\Unnatural Disaster\letter 17-10-14 joint sec..docx